

**कार्यालय कलेक्टर, एवं पदेन उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
// सार्वजनिक सूचना //**

क्रमांक 2830/भू-अर्जन/53/2019

धमतरी दिनांक 15/04/2019

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित भूमि की "कल्ले-अंवरी-सिवे मार्ग के कि.मी. 7/10 में सिर्वे नाला पर पहुंचमार्ग के निर्माण हेतु पुरैना की ओर स्थित निजी भूमि का" सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः राज्य शासन द्वारा छ.ग.शासन की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति, 2016 के प्रावधानों के तहत नीचे दी गयी अनुसूची में वर्णित भूमि को लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग रायपुर के पक्ष में क्रय करने पर विचार किया जा रहा है।

भूमि का विवरण							प्राधिकृत अधिकारी
जिला	तहसील	ग्राम/ पटवारी हल्का नंबर	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा	आपसी सहमति से क्रय हेतु प्रस्तावित रकबा	
1	2	3	4	5	6	7	8
धमतरी	कुरुद	पुरैना/ 03	1.मन्नु पिता श्री ललित, 2.मनीषा पिता श्री ललित, 3.मोतीम पिता श्री ललित, 4.बिसरी बेवा श्री ललित, 5.सुरेश पिता श्री भारत, 6.ढालू पिता श्री भारत, 7.लोकेश्वर पिता श्री भारत, 8.तातुराम पिता श्री गयाराम, 9.कपिल पिता श्री गयाराम, 10.सकून पिता श्री गया राम, 11.ईश्वरी पिता श्री गया राम, 12.रमलाबाई पति श्री भारत 13.माखन पिता श्यामलाल 14.फिरतिन पिता श्यामलाल 15.पुष्पा पिता श्यामलाल 16. फूलबासन पिता श्यामलाल	20	0.42 हे.	0.12 हे.	कलेक्टर जिला धमतरी
धमतरी	—"	—"	श्री अशोक पिता श्री घनसिंग	21 22/1 22/2 104	0.18 0.16 0.10 0.18	0.18 0.15 0.07 0.04	—"
धमतरी	—"	—"	श्री भोजराम पिता पन्नालाल	23	0.36	0.04	—"

02— यह भी सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो इस सूचना के प्रकाशन की तिथि के 15 दिवस के भीतर अपना दावा आपत्ति आधार सहित लिखित में कलेक्टर धमतरी के समक्ष स्वयं अथवा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है।


(रजत बंसल)

कलेक्टर जिला धमतरी
एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

**कार्यालय कलेक्टर, एवं पदेन उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
// सार्वजनिक सूचना //**

क्रमांक

/भू-अर्जन/117/2019

धमतरी दिनांक

/04/2019

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित भूमि की "अरौद स्टापडेम निर्माण योजना हेतु ग्राम अरौद स्थित निजी भूमि का" सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः राज्य शासन द्वारा छ.ग.शासन की आपसी सहमति से भूमि कय नीति, 2016 के प्रावधानों के तहत नीचे दी गयी अनुसूची में वर्णित भूमि को लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग रायपुर के पक्ष में कय करने पर विचार किया जा रहा है।

भूमि का विवरण							प्राधिकृत अधिकारी
जिला	तहसील	ग्राम/ पटवारी हल्का नंबर	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा (हे. में)	आपसी सहमति से कय हेतु प्रस्तावित रकबा(हे. में)	
1	2	3	4	5	6	7	8
धमतरी	मगरलोड	अरौद/ 06	गंगाबाई पति रामानंद	703/3	0.49	0.070	कलेक्टर जिला धमतरी
धमतरी	---	---	भागवत पिता ठाकुर राम	706	0.99	0.160	---
धमतरी	---	---	संतोष, मोतिम बाई पिता हरिराम, कचरा बेवा हरिराम, मानकी बेवा हरिराम	708	0.04	0.040	---
धमतरी	---	---	तीरथ राम, सोमनाथ, तीजिया, फगनी पिता लक्ष्मण, गयाबाई बेवा लक्ष्मण	707	0.030	0.030	---

02- यह भी सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो इस सूचना के प्रकाशन की तिथि के 15 दिवस के भीतर अपना दावा आपत्ति आधार सहित लिखित में कलेक्टर धमतरी के समक्ष स्वयं अथवा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है।

(रजत बंसल)

कलेक्टर जिला धमतरी

एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग